न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।

उपस्थित–अनुपमा सिंह (UP2151) (उ०प्र० न्यायिक सेवा),

कम्प्यूटर नं0–31098/2022

दाण्डिक वाद सं०–17411/2024

राज्य बनाम जसवीर सिंह पुत्र अनोखे लाल,
निवासी नगला झद्दी, थाना सोरों,
जनपद एटा (वर्तमान कासगंज),
मु0अ0सं0–54/2007,
धारा–279, 337, 304ए भा0दं0सं0 1860,
थाना–सोरों, जिला–कासगंज।

निर्णय

1– यह आरोपपत्र अभियुक्त जसवीर सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा–279, 338, 304ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत थाना सोरों की पुलिस द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''मैं दिनांक 15.02.2007 को समय करीब 07:30 बजे शाम कांबड़ भरने के लिए ट्रैक्टर से लहरा जा रहा था। मेरे साथ मेरे बड़े भाई सौंमप्रसाद भी थे। हमारा ट्रैक्टर गोरहा पुल पर रूका था। मेरा भाई सौंमप्रसाद पानी पीने हेतु उतरा, वैसे ही कसगंज की ओर से तेज गति से आ रही टाटा सूमो ने मेरे भाई सौंमप्रसाद के टक्कर मार दी, जिससे मेरे भाई के सिर में व रीढ़ की हड्डी पर, मुंह पर, बांयी कोख पर खुली व दब्ब चोटें आयी हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जावे।''

3– उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–24.02.2007 को समय 15:15 बजे, सम्बन्धित थाना सोरों पर टाटा सूमो का चालक नाम, पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–54/2007, अन्तर्गत धारा 279, 338 भा0दं0सं0 1860 में पंजीकृत की गयी।

4– विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त जसवीर सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 279, 338, 304ए भा0दं0सं0 1860 में न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्त को सभी सम्बन्धित कागजात की नकलें प्रदान की गई एवं अभियुक्त जसवीर सिंह के विरूद्ध बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा0दं0सं0 1860 में बनाया गया तथा अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

Digitally signed by ANUPMA SINGH
Date: 2025.05.13 18:13:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में आरोपपत्र कागज सं0–03अ, प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 04अ, नकल प्रार्थना पत्र टाइपशुदा कागज सं0 04अ/02, मूल तहरीर कागज सं0 05अ, कार्बन प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 06अ, कार्बन प्रति नकल प्रार्थना पत्र टाइपशुदा, नकल रपट कागज सं0 07अ, नक्शा नजरी कागज सं0 08अ एवं केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं।

7– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने मुकदमा झूठा व गलत चलना बताया और सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8– न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

9– अभियुक्त जसवीर सिंह पर आरोप है कि दिनांक–15.02.2007 को समय 07:30 बजे सायं, वहद् स्थान गोरहा पुल कासगंज–सोरों रोड, वहद ग्राम नगला खंजी, अन्तर्गत थानाक्षेत्र सोरों, जिला कासगंज में जब वादी मुकदमा करू अपने बड़े भाई सोमप्रसाद के साथ ट्रैक्टर से लहरा कांवड़ भरने जा रहा था, गोरहा पुल पर ट्रैक्टर रूकने पर उसका भाई सोमप्रसाद पानी पीने हेतु उतरा, वैसे ही आप अभियुक्त द्वारा वाहन टाटा सूमो रजि0 सं0 एच0आर0–61–2736 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा के भाई सोमप्रसाद उपरोक्त के टक्कर मार दी गई, जिससे उसके सिर, रीढ़ की हड्डी, मुंह व दायीं कोख में खुली व दब्ब चोटें आईं तथा दौरान उपचार सोमप्रसाद की मृत्यु हो गयी।

10– पत्रावली पर बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रकरण में किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11– पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है या नहीं।

12– उपर्युक्त सम्प्रेक्षण से दर्शित होता है कि पत्रावली अत्यधिक प्राचीन है तथा वर्ष 2008 से न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त पत्रावली में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध बयान मुल्जिम दिनांक 12.08.2008 को बनाया जा चुका है, तब से पत्रावली साक्षीगण के साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है, किन्तु अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी को उक्त पत्रावली पर साक्ष्य हेतु तमाम अवसर दिये जाने के बावजूद भी परीक्षित नहीं कराया गया तथा कोई अभियोजन प्रपत्र भी न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं

किया गया, जिस कारण दिनांक 19.03.2025 को न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया तथा पत्रावली पर अभियोजन कथानक के समर्थन में किसी भी साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिस कारण घटना संदिग्ध हो जाती है।

13– आपराधिक न्यायशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, जब तक उसकी दोषसिद्धता को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। जब तक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित न हो जाये, अभियुक्त की निर्दोषिता अवधारित रहती है व आरोप में सभी तथ्यों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर रहता है।

14– **माननीय उच्चतम न्यायालय ने विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 ए०आई०आर० 1459** में अभियोजन के सबूत के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के संगत प्रस्तर निम्नवत् उदृत हैं–

> *" It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. Page 44, a passage reads as follows:*
>
> *"The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted."*
>
> *Another passage at page 48 reads as follows:"In criminal cases the prosecution discharge their evidential burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prosecution has so succeeded fare greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the evidential burden by defence is not a pre–requisite to an acquittal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner ..... No matter what the charge .....the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be entertained."*

15– यहां **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विजय बनाम उ0 प्र0 राज्य, 1990 सी0 आर0 एल0 जे0 1510 सुप्रीम कोर्ट** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक मामलों में

आरोप को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और जब तक अभियोजन पक्ष अभियोजन केस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं करता है जब तक अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जायेगी। **माननीय उच्च न्यायालय ने धर्मेन्द्र बनाम उ0 प्र0 राज्य 2010 (70) एस0 सी0 सी0 817, इलाहाबाद** के वाद में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विचारण में अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है।

16– उपर्युक्त परिशीलन के आधार पर स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से उसके कथन के समर्थन में कोई भी मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, उसके आधार पर अभियुक्त जसवीर सिंह के विरूद्ध कोई भी आरोप सन्देह से परे सिद्ध करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त प्रस्तुत दाण्डिक वाद में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

17– उक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में दाण्डिक वाद सं0–17411/2024, मु0अ0सं0–54/2007, थाना सोरों, जनपद कासगंज के मामले में अभियुक्त जसवीर सिंह को अंतर्गत धारा–279, 337, 304ए भा0दं0सं0 1860 के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

18– अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बंधन पत्र व प्रतिभू निर्णय की तिथि से छह माह तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त अंतर्गत धारा 437 दं0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनांक–13–05–2025

(अनुपमा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

19– आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–13–05–2025

(अनुपमा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।